



मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) इसलिए

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान
राशिद बनाम सत्यनारायण आर.ए.एस.

दावा बाबत नामसुधरणी U/S 88 RTI


मुकदमा नम्बर :- 115/2022

निर्णय दिनांक :- 06-06-2022

वादी की ओर से इ.एस.ए. की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06-06-2022 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दावा कार्य खारिज किया गया। राशिद आर.ए.एस. की पत्नी के पिता नं. 340 ए.एस. नं. 685, 707 में राशिद, पुत्री फतेह मोहम्मद के लिये राशिद पुत्र फतेह मोहम्मद के नाम की घोषणा की जाती है। वधुसिद्धा, स.क. उमरावता राजपुर रिकॉर्ड में नं. 685, 707 में राशिद की घोषणा की है। राशिद के पिता के रूप में कोई दस्तावेज नहीं है। राशिद का नाम सत्यनारायण आर.ए.एस. के नाम में है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06-06-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शा के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़

